

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3715  
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

**विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन छात्रों का नामांकन**

†3715. श्री बी.के. पार्थसारथी:  
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और छात्राओं की वर्षवार, राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार संख्या कितनी है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले नामांकित छात्रों का वर्षवार, राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार संख्या कितनी है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाली ऐसी छात्राओं की संख्या कितनी है और इसके लिए वर्षवार, राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार कितनी निधि आवंटित और संवितरित की गई है;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष शिक्षकों वाले सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों की वर्षवार, राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार संख्या कितनी है; और
- (ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार, राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार कितने विशेष रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्क्राइब सुविधा की व्यवस्था की गई थी?

**उत्तर**

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुरूप समग्र शिक्षा योजना लिए एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समावेशी शिक्षा हेतु एक समर्पित घटक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे, चाहे उनकी दिव्यांगता कितनी भी हो, समावेशी स्कूलों में पढ़ाई कर सकें। इस योजना के तहत प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक सतत रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है तथा इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की दिव्यांगता अनुसूची में उल्लिखित बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले बच्चों सहित एक या अधिक दिव्यांगताओं वाले सभी विकलांग बच्चों को शामिल किया गया है।

यूडीआईएसई+ के अनुसार, विगत पांच वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2023-24 के दौरान देश भर में बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चों सहित प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक सीडब्ल्यूएसएन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और लिंग-वार नामांकन और आंध्र प्रदेश में प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में जिलावार और लिंग-वार सीडब्ल्यूएसएन नामांकन क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) से (ड): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्र-उन्मुख उपायों के लिए वित्त पोषण प्रति वर्ष 3,500 रुपये प्रति सी.डब्ल्यू.एस.एन. की दर से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शिक्षण सहायता, चिकित्सीय सेवाएं, उपकरण सहायता, गृह आधारित शिक्षा, तथा आवश्यकतानुसार परिवहन, अनुरक्षक और पाठकों/लेखकों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 माह के लिए 200 रुपए प्रति माह (प्रति वर्ष 2,000 रुपए) की दर से वजीफा देने का प्रावधान है, ताकि स्कूल में विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके और उन्हें स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तथा परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के अनुसार प्रदान की जाती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एडब्ल्यूपीएंडबी में विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि के लिए बजट प्रस्तावित करता है। मूल्यांकन के बाद प्रस्तावों को पीएबी द्वारा अनुमोदित किया जाता है और केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच 60:40, 90:10, 100% के अनुपात में वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, शिक्षकों की भर्ती और अन्य सेवा मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं, तथा समग्र शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन और खरीद (एफएमपी) मैनुअल के अनुसार यह योजना केवल एकमुश्त (समग्र) सहायता प्रदान करती है।

देश भर में समग्र शिक्षा के तहत वजीफा पाने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सी.डब्ल्यू.एस.एन. लड़कियों की संख्या तथा विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

यूडीआईएसई+ के अनुसार, विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेष शिक्षकों वाले सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और विशेष शिक्षकों वाले सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों की जिला-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-IV** और **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के नामांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी.के. पार्थसारथी और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 3715 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक देश भर में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में प्री-स्कूल से कक्षा-12 तक बेंचमार्क विकलांगता अर्थात आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार निर्दिष्ट विकलांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं, वाले बच्चों सहित सीडब्ल्यूएसएन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और लिंग-वार नामांकन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	306	174	354	205	321	188	450	251	433	249
आंध्र प्रदेश	89008	69450	80631	59817	82389	60018	80141	57807	69300	49562
अरुणाचल प्रदेश	1342	1473	1407	1631	1267	1593	1215	1605	1221	1520
असम	30467	27724	29489	26031	28668	23402	31146	25112	29989	24183
बिहार	80576	63877	75429	59828	101787	69113	88521	68466	90065	71067
चंडीगढ़	2317	1440	1841	1165	2002	1373	2114	1460	2247	1476
छत्तीसगढ़	17554	15062	34585	29388	40290	32817	40089	36130	41635	38406
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1524	1349	1477	1284	878	587	869	594	863	581
दिल्ली	13228	11815	12436	11266	11736	10637	11395	11145	20173	16971
गोवा	1395	868	1159	748	2277	1313	2746	1565	2650	1484
गुजरात	82918	59985	74380	53504	68692	44860	63666	44776	58739	40990
हरियाणा	14437	10524	11973	8773	12747	8717	10846	7490	9977	6933
हिमाचल प्रदेश	4074	3494	3276	2697	3336	2733	3294	2884	2984	2575
जम्मू एवं कश्मीर	9804	7825	9305	7057	8253	5884	9179	6679	9018	6293
झारखंड	27578	23993	24699	21826	25073	20959	18072	14998	24212	21153
कर्नाटक	50908	40225	46768	36272	47712	36599	48508	36674	43152	32381
केरल	80865	55643	73758	50809	73768	49096	72678	47282	66511	42977
लद्दाख	308	347	208	234	358	363	292	232	268	248
लक्षद्वीप	149	104	163	104	126	82	112	82	111	87
मध्य प्रदेश	55760	46074	59442	48999	71892	56828	70840	59493	71533	60598
महाराष्ट्र	216830	166501	193392	146854	185791	135008	175619	128829	164409	122946
मणिपुर	2023	1798	2006	1843	2141	2000	1896	1913	1849	1864
मेघालय	2097	1652	2207	1805	1991	1514	1683	1268	1365	1103
मिजोरम	2149	1888	2192	2287	1990	2154	1945	2165	1765	2025
नागालैंड	1095	1067	693	670	1105	986	669	701	499	445
ओडिशा	53489	39879	55321	42223	79930	59515	52563	39459	50721	37313
पुदुचेरी	1093	1113	595	499	1074	948	459	388	484	549
पंजाब	34966	26243	35052	25838	35405	26576	32448	23914	27719	20028
राजस्थान	56780	43547	46922	35054	46307	33311	45765	33748	37770	28302
सिक्किम	586	415	857	616	739	491	643	474	577	407
तमिलनाडु	96548	65879	95147	64703	91903	62023	82212	55197	82770	55769
तेलंगाना	31517	27574	31538	26771	30105	24312	29892	22805	66510	51738
त्रिपुरा	2506	1871	1997	1459	2163	1562	2135	1632	1772	1286
उत्तर प्रदेश	152751	116386	165809	125284	170727	119734	174773	132168	173714	128767
उत्तराखंड	2506	2119	2122	1717	1994	1690	2135	1539	2057	1554
पश्चिम बंगाल	80327	62794	82236	66953	82855	66170	78034	62857	83447	66218
<b>कुल</b>	<b>1301781</b>	<b>1002172</b>	<b>1260866</b>	<b>966214</b>	<b>1319792</b>	<b>965156</b>	<b>1239044</b>	<b>933782</b>	<b>1242509</b>	<b>940048</b>

स्रोत यूडीआईएसई+ पोर्टल

" विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के नामांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी.के. पार्थसारथी और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3715 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक आंध्र प्रदेश के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में प्री-स्कूल से कक्षा-12 तक बेंचमार्क विकलांगता अर्थात आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार निर्दिष्ट विकलांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं, सहित सीडब्ल्यूएसएन का जिलावार और लिंगवार नामांकन

जिला	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
अनकापल्ली	0	0	0	0	0	0	2831	2020	2454	1781
अनंतपुर	6331	4567	6146	4338	7095	5078	3896	2563	3628	2342
अन्नमय्या	0	0	0	0	0	0	3086	2078	2604	1748
अस	0	0	0	0	0	0	1034	794	702	556
बापतला	0	0	0	0	0	0	2673	1990	2200	1611
चित्तौड़	8384	5878	7607	5250	8111	5980	3635	2442	3111	2148
पूर्वी गोदावरी	9011	7094	8762	6749	7449	5636	2573	1981	2185	1706
एलुरु	0	0	0	0	0	0	4101	2823	3162	2172
गुंटूर	7871	6282	7488	5565	8328	5892	2381	1653	2768	1954
कडपा	5502	4839	5046	3852	4685	3488	3453	2699	2896	2130
काकीनाडा	0	0	0	0	0	0	3439	2511	2860	2085
कोनासीमा	0	0	0	0	0	0	2637	1809	2196	1617
कृष्ण	7431	5426	6668	4664	6158	4183	2913	2034	2574	1733
कुरनूल	9049	7380	8050	6318	7965	6104	4096	2992	3614	2613
मन्याम	0	0	0	0	0	0	1514	1231	1326	1056
नांदयाल	0	0	0	0	0	0	3579	2935	3252	2500
नेल्लोर	4290	3191	4206	3086	4344	3083	3752	2592	3276	2143
एनटीआर	0	0	0	0	0	0	2321	1609	2017	1369
पालनाडू	0	0	0	0	0	0	3498	2633	2776	1989
प्रकाशम	7039	5427	5950	4233	5524	4065	3693	2529	3024	1997
श्री सत्यसाई	0	0	0	0	0	0	3391	2380	2885	2067
श्रीकाकुलम	5052	4185	4215	3254	5223	4001	4155	2971	4107	2956
तिरुपति	0	0	0	0	0	0	3470	2561	2799	2087
विशाखापट्टनम	5287	4224	4968	3857	5492	3928	1477	1159	1385	1124
विजयनगरम	4421	3480	3887	2836	4585	3271	3581	2615	3042	2259
पश्चिम गोदावरी	9340	7477	7638	5815	7430	5309	2962	2203	2457	1819
कुल	89008	69450	80631	59817	82389	60018	80141	57807	69300	49562

स्रोत यूडीआईएसई+ पोर्टल

"विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के नामांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी.के. पार्थसारथी और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3715 के भाग (ग) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक देश भर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत वजीफा पाने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सी.डब्ल्यू.एस.एन. बालिकाओं की संख्या तथा आवंटित धनराशि।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	वास्तविक	वित्तीय (रु.लाखों में)	वास्तविक	वित्तीय (रु.लाखों में)	वास्तविक	वित्तीय (रु.लाखों में)	वास्तविक	वित्तीय (रु.लाखों में)	वास्तविक	वित्तीय (रु.लाखों में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	125	2.5	111	2.22	171	3.42	189	3.78	183	3.66
आंध्र प्रदेश	17885	357.7	6773	135.46	23642	472.84	31241	624.82	31168	623.36
अरुणाचल प्रदेश	1706	34.12	1717	34.34	1781	35.62	1761	35.22	1585	31.7
असम	27911	558.22	26761	535.22	27392	547.84	25782	515.64	22835	456.7
बिहार	30801	616.02	20114	402.28	26155	523.1	18830	376.6	21918	438.36
चंडीगढ़	620	12.4	610	12.2	528	10.56	488	9.76	531	10.62
छत्तीसगढ़	19568	391.36	16572	331.44	14689	293.78	28805	576.1	32108	642.16
दिल्ली	8156	163.12	7537	150.74	8398	167.96	8900	178	8272	165.44
दादरा और नगर हवेली-दमन और दीव	390	7.8	938	18.76	1095	21.9	315	6.3	270	5.4
गोवा	814	16.28	698	13.96	866	17.32	748	14.96	727	14.54
गुजरात	12589	251.78	14561	291.22	32193	643.86	28402	568.04	23914	478.28
हरियाणा	11284	225.68	10811	216.22	10324	206.48	8673	173.46	8583	171.66
हिमाचल प्रदेश	4675	93.5	3612	72.24	3335	66.7	2543	50.86	2591	51.82
जम्मू और कश्मीर	14913	298.26	8495	169.9	7778	155.56	7054	141.08	5871	117.42
कर्नाटक	35954	719.08	35265	705.3	39267	785.34	35231	704.62	35385	707.7
केरल	56489	1129.78	52254	1045.08	46793	935.86	43843	876.86	48422	968.44
लद्दाख	-	-	-	-	347	6.94	219	4.38	336	6.72
लक्षद्वीप	76	1.52	76	1.52	83	1.66	86	1.72	82	1.64
मध्य प्रदेश	18568	371.36	19193	383.86	18210	364.2	24965	499.3	25477	509.54
महाराष्ट्र	130047	2600.94	53991	1079.82	105840	2116.8	96590	1931.8	89626	1792.52
मणिपुर	1877	37.54	1803	36.06	1751	35.02	1455	29.1	1649	32.98
मेघालय	1724	34.48	1519	30.38	1644	32.88	1792	35.84	1242	24.84
मिजोरम	2299	45.98	2116	42.32	1721	34.42	2003	40.06	1959	39.18
नागालैंड	386	7.72	186	3.72	352	7.04	166	3.32	985	19.7
ओडिशा	26825	536.5	24719	494.38	21100	422	22637	452.74	22384	447.68
पुदुचेरी	202	4.04	0	0	471	9.42	342	6.84	922	18.44
पंजाब	28786	575.72	27306	546.12	26054	521.08	25690	513.8	24558	491.16
राजस्थान	7405	148.1	6036	120.72	11235	224.7	14359	287.18	11180	223.6
सिक्किम	0	0	465	9.3	385	7.7	669	13.38	446	8.92
तमिलनाडु	33399	667.98	32174	643.48	92156	1843.12	49966	999.32	35133	702.66
तेलंगाना	21276	425.52	17361	347.22	15684	313.68	15393	307.86	12722	254.44
त्रिपुरा	1551	31.02	1419	28.38	1862	37.24	1452	29.04	1515	30.3
उत्तर प्रदेश	9540	190.8	11723	234.46	13882	277.64	17081	341.62	20546	410.92
उत्तराखंड	2415	48.3	1973	39.46	2001	40.02	1622	32.44	1654	33.08
पश्चिम बंगाल	66416	1328.32	55385	1107.7	53698	1073.96	61212	1224.24	60379	1207.58
<b>कुल योग</b>	<b>596672</b>	<b>11933.4</b>	<b>464274</b>	<b>9285.5</b>	<b>61283</b>	<b>12257.7</b>	<b>580504</b>	<b>11610.08</b>	<b>557158</b>	<b>11143.16</b>

स्रोत प्रबंध पोर्टल

नोट: झारखंड से सी.डब्ल्यू.एस.एन. बालिकाओं को वजीफा देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। राज्य अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके इसका प्रबंध कर रहा है।

"विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के नामांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी.के. पार्थसारथी और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3715 के भाग (ग) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक के दौरान देश भर में विशेष शिक्षकों वाले सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11	30	9	40	12	87	11	133	11	149
आंध्र प्रदेश	86	77765	218	75614	4020	20475	5494	25659	5007	26734
अरुणाचल प्रदेश	68	185	69	196	64	228	63	237	66	249
असम	1234	6812	1146	6641	1001	5922	946	5558	875	5153
बिहार	5520	12887	5840	13896	5979	13763	7624	17800	7540	17803
चंडीगढ़	3	117	3	116	3	118	5	113	9	111
छत्तीसगढ़	521	31086	772	27021	894	22590	1294	18335	1321	16543
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	368	3	366	2	341	2	382	2	354
दिल्ली	1558	597	1730	575	2087	597	2094	645	3647	228
गोवा	60	21	61	21	82	19	90	17	98	18
गुजरात	1716	12030	1396	21256	1194	28698	1295	30847	1367	31374
हरियाणा	119	2613	119	2757	99	2896	96	2887	114	2667
हिमाचल प्रदेश	272	868	282	847	274	792	226	727	313	848
जम्मू एवं कश्मीर	594	1680	554	1628	526	1531	652	1150	592	1077
झारखंड	1899	3861	1635	3775	1409	3657	1282	3659	1177	4070
कर्नाटक	10892	2553	9173	2969	8048	3283	7295	5544	6540	6798
केरल	1859	2451	2202	3319	2877	3226	3166	3729	2765	4358
लद्दाख	21	142	17	134	11	109	8	74	9	71
लक्षद्वीप	2	32	2	35	5	28	7	22	6	24
मध्य प्रदेश	3623	7099	3587	6941	3339	6208	3706	4988	3605	4708
महाराष्ट्र	4049	71578	3764	77146	3266	81676	3091	87892	2937	90856
मणिपुर	55	412	55	408	49	377	132	610	132	662
मेघालय	89	1422	97	1484	105	1445	102	1405	96	1398
मिजोरम	15	133	12	128	13	106	12	98	21	282
नागालैंड	52	103	48	99	27	162	26	150	23	130
ओडिशा	501	57557	518	55582	1397	42107	5092	14011	5454	14829
पुदुचेरी	33	160	30	215	28	196	25	148	22	140
पंजाब	515	4322	21	19647	154	15530	689	7091	587	7148
राजस्थान	2521	7219	2473	6875	2305	6262	3467	6193	3653	5927
सिक्किम	24	224	26	260	25	299	35	362	31	380
तमिलनाडु	811	46301	811	46490	2	47337	2	47384	32	47396
तेलंगाना	834	5216	627	4319	590	4084	549	3841	773	5489
त्रिपुरा	79	397	75	371	116	401	139	394	171	405
उत्तर प्रदेश	10985	18015	9880	18912	8576	20791	7022	37099	6277	38793
उत्तराखंड	317	919	292	756	256	602	708	479	617	414
पश्चिम बंगाल	1145	44322	1997	44236	1876	43932	1661	43136	1580	42670
<b>कुल</b>	<b>52085</b>	<b>421497</b>	<b>49544</b>	<b>445075</b>	<b>50711</b>	<b>379875</b>	<b>58108</b>	<b>372799</b>	<b>57470</b>	<b>380256</b>

स्रोत यूडीआईएसई+ पोर्टल

"विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के नामांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी.के. पार्थसारथी और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3715 के भाग (ग) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान देश भर में आंध्र प्रदेश में विशेष शिक्षकों वाले सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों की जिलावार संख्या

जिला	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर	स्कूल स्तर	क्लस्टर स्तर
अनकापल्ली	0	0	0	0	0	0	204	1017	188	1193
अनंतपुर	8	6921	19	6764	302	1568	235	548	243	588
अन्नमय्या	0	0	0	0	0	0	294	1228	244	1254
अस	0	0	0	0	0	0	426	1619	356	1499
बापतला	0	0	0	0	0	0	176	1171	152	1134
चित्तौड़	13	8683	27	8580	337	2148	219	1225	231	1296
पूर्वी गोदावरी	0	6260	17	6096	331	1775	106	574	114	598
एलुरु	0	0	0	0	0	0	205	1101	187	1103
गुंटूर	7	6041	29	5799	348	1983	134	781	128	894
कडपा	14	6146	31	5954	286	1399	287	988	285	1097
काकीनाडा	0	0	0	0	0	0	170	570	157	606
कोनासीमा	0	0	0	0	0	0	202	793	175	824
कृष्ण	5	5113	10	5003	314	1500	226	813	203	960
कुरनूल	5	4787	9	4653	179	1175	138	801	128	836
मन्याम	0	0	0	0	0	0	290	1060	227	992
नांदयाल	0	0	0	0	0	0	63	707	63	770
नेल्लोर	2	5932	13	5836	184	1405	139	1080	137	1171
एनटीआर	0	0	0	0	0	0	101	614	99	697
पालनाडू	0	0	0	0	0	0	216	962	183	1027
प्रकाशम	10	5789	13	5628	234	1457	174	2016	227	2108
श्री सत्यसाई	0	0	0	0	0	0	204	1378	197	1323
श्रीकाकुलम	5	5836	17	5657	320	1443	410	1394	357	1395
तिरुपति	0	0	0	0	0	0	238	1214	211	1231
विशाखापट्टनम	10	5926	11	5725	551	2044	174	363	129	384
विजयनगरम	4	4646	11	4374	287	1090	182	895	187	993
पश्चिम गोदावरी	3	5685	11	5545	347	1488	281	747	199	761
<b>कुल</b>	<b>86</b>	<b>77765</b>	<b>218</b>	<b>75614</b>	<b>4020</b>	<b>20475</b>	<b>5494</b>	<b>25659</b>	<b>5007</b>	<b>26734</b>

स्रोत यूडीआईएसई+ पोर्टल